

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220789
CG-DL-E-31072020-220789

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]
No. 378]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SRAVANA 9, 1942

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

सा.का. नि. 483(अ).—भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (दावों का निस्तारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त के पद के समवर्ती प्रभार की अवधि को 01.08.2020 से दो वर्ष की अवधि तक के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 21/21/2002-भोपाल सेल]

समीर कुमार बिश्वास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2020

G.S.R. 483 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby extends the tenure of Shri Justice Prakash Shrivastava, a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the Victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a period of two years with effect from 01.08.2020 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 21/21/2002-B.Cell]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.